रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022025-261029
CG-DL-E-14022025-261029

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 783] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946
No. 783] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2025

का.आ. 787(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 146बी (शाहगंज बाईपास - बाड़ी खण्ड) के कि.मी. 135.200 से कि.मी.150.712 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/ 4-लेन बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरेली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 146बी (शाहगंज बाईपास - बाड़ी खण्ड) के कि.मी. 135.200 से कि.मी.150.712 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: रायसेन		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बाड़ी					
गांव का नाम: बाबई					
1	224	निजी	सिंचित	0.152 (हेक्टेयर)	0.152
2	226/2	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
3	232/1/1	निजी	सिंचित	0.038 (हेक्टेयर)	0.038
गांव का नाम: पटनी					
4	106/2	निजी	सिंचित	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
5	115/2/1	निजी	सिंचित	0.086 (हेक्टेयर)	0.086
6	115/2/2	निजी	सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
गांव का नाम: अमरावद कलां					
7	125/1/2	निजी	सिंचित	0.054 (हेक्टेयर)	0.054
8	125/2	सरकारी	नहर	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
गांव का नाम: दिगवाड़					
9	149/2/2/2	निजी	व्यपरिवर्तित	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
10	167/1	निजी	सिंचित	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
11	167/2	सरकारी	नहर	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
12	168	सरकारी	रास्ता	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
13	172/2/1/1	निजी	सिंचित	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
14	172/2/3/2/1	निजी	सिंचित	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
15	172/2/3/2/2	सरकारी	नहर	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
16	172/2/3/2/3	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
गांव का नाम: नानपोन					
17	116	सरकारी	रास्ता	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
18	122/10	सरकारी	नहर	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
19	133/3	सरकारी	नहर	0.151 (हेक्टेयर)	0.151
20	139	निजी	सिंचित	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
21	140/1	निजी	सिंचित	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
गांव का नाम: चंदवाड़					
22	18	निजी	सिंचित	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
23	20	निजी	सिंचित	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
24	23	निजी	सिंचित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003

25	24/1	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
गांव का नाम: बाड़ी खुर्द					
26	777	सरकारी	रास्ता	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
27	827	निजी	सिंचित	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
28	892/1, 892/2	निजी	सिंचित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
29	958/777	सरकारी	रास्ता	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
				Total	**0.957**

[फा. सं. NHAI/RO(MP)/Sandalpur-Badi/LA/2023/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2025

S.O. 787(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 146B (Shahganj bypass - Badi section) in the stretch of land from Km. 135.200 to Km. 150.712 in the district of RAISEN in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer (Revenue), Bareli in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway No. 146B (Shahganj bypass - Badi section) in the stretch of land from Km. 135.200 to Km. 150.712 in the district of RAISEN in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			**District: RAISEN**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Badi					
Village: Babai					
1	224	Private	Irrigated	0.152 (Hectare)	0.152
2	226/2	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
3	232/1/1	Private	Irrigated	0.038 (Hectare)	0.038
Village: Patni					
4	106/2	Private	Irrigated	0.014 (Hectare)	0.014
5	115/2/1	Private	Irrigated	0.086 (Hectare)	0.086

6	115/2/2	Private	Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
Village: Amrawad Kalan					
7	125/1/2	Private	Irrigated	0.054 (Hectare)	0.054
8	125/2	Government	Nahar	0.16 (Hectare)	0.16
Village: Digwad					
9	149/2/2/2	Private	Diverted	0.022 (Hectare)	0.022
10	167/1	Private	Irrigated	0.009 (Hectare)	0.009
11	167/2	Government	Canal	0.005 (Hectare)	0.005
12	168	Government	Road	0.023 (Hectare)	0.023
13	172/2/1/1	Private	Irrigated	0.002 (Hectare)	0.002
14	172/2/3/2/1	Private	Irrigated	0.009 (Hectare)	0.009
15	172/2/3/2/2	Government	Canal	0.008 (Hectare)	0.008
16	172/2/3/2/3	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
Village: Nanpon					
17	116	Government	Way	0.01 (Hectare)	0.01
18	122/10	Government	Canal	0.072 (Hectare)	0.072
19	133/3	Government	Canal	0.151 (Hectare)	0.151
20	139	Private	Irrigated	0.007 (Hectare)	0.007
21	140/1	Private	Irrigated	0.004 (Hectare)	0.004
Village: Chandwar					
22	18	Private	Irrigated	0.008 (Hectare)	0.008
23	20	Private	Irrigated	0.025 (Hectare)	0.025
24	23	Private	Irrigated	0.003 (Hectare)	0.003
25	24/1	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
Village: Badi Khurd					
26	777	Government	Way	0.015 (Hectare)	0.015
27	827	Private	Irrigated	0.012 (Hectare)	0.012
28	892/1, 892/2	Private	Irrigated	0.003 (Hectare)	0.003
29	958/777	Government	Way	0.012 (Hectare)	0.012
				Total	**0.957**

[F. No. NHAI/RO(MP)/Sandalpur-Badi/LA/2023/3A]

ABHAY JAIN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.14 16:17:48 +05'30'